**बिहार सरकार,**
**कृषि विभाग।**

पत्र संख्या– DOH/CS/04/2025-पी०पी०एम०(शाखा)19-128-/कृ0, पटना, दिनांक - 29.08.2025

प्रेषक,

**कल्पना कुमारी,**
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

**महालेखाकार, बिहार,**
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्षित।

द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।**

विषय : **वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अन्तर्गत टमाटर, मिर्च एवं लहसुन का क्लस्टर में क्षेत्र विस्तार के कार्यान्वयन हेतु कुल 1246.80 लाख (बारह करोड़ छियालीस लाख अस्सी हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अन्तर्गत टमाटर, मिर्च एवं लहसुन का क्लस्टर में क्षेत्र विस्तार के कार्यान्वयन हेतु कुल 1246.80 लाख (बारह करोड़ छियालीस लाख अस्सी हजार) रूपये मात्र {केन्द्रांश एवं राज्यांश 997.44 लाख (नौ करोड़ संतानबे लाख चौवालीस हजार) रूपये एवं टॉप–अप (राज्य योजना) 249.36 लाख (दो करोड़ उनचास लाख छत्तीस हजार) रूपये} की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्लस्टर में सब्जी/मसाला योजनान्तर्गत टमाटर, मिर्च एवं लहसुन का क्षेत्र विस्तार कराकर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा उचित बाजार मूल्य से कृषकों की आय में वृद्धि करना।

3. यह केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का कार्य योजना **अनुसूची–1** एवं कार्यान्वयन **अनुसूची–2** के अनुसार राज्य के 26 जिलों यथा– अररिया, औरंगाबाद, बाँका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गयाजी, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, शेखपुरा एवं वैशाली में वित्तीय वर्ष 2025–26 में कराया जायेगा।

4. क्लस्टर में सब्जी/मसाला योजनान्तर्गत टमाटर, मिर्च एवं लहसुन की खेती किसानों द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक क्लस्टर (समूह) में 6 (छः) हेक्टेयर हेतु स्वीकृत है, जिसमें न्यूनतम 3 (तीन) कृषक सदस्य होंगे। केन्द्र प्रायोजित योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत् टमाटर एवं मिर्च (हाइब्रिड) हेतु निर्धारित लागत मूल्य क्रमशः 0.60 एवं 0.60 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर का योजनान्तर्गत कृषकों को 40 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत टॉप–अप के रूप में यानि कुल 50 प्रतिशत अनुदान एक किस्त में DBT-In-Cash/DBT-In-Kind के रूप में दिया जायेगा। केन्द्र प्रायोजित योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत् लहसुन हेतु निर्धारित लागत मूल्य क्रमशः 1.00 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर का योजनान्तर्गत कृषकों को 40 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत टॉप–अप के रूप में यानि कुल 50 प्रतिशत अनुदान 60:40 के अनुपात में दो किस्तों में यथा– पौध रोपण सामग्री एवं INM/IPM सामग्री के क्रय पर प्रथम किस्त के रूप में 60 प्रतिशत एवं खेती के भौतिक सत्यापन उपरान्त द्वितीय किस्त के रूप में 40 प्रतिशत DBT-In-Cash/DBT-In-Kind के रूप में दिया जायेगा। प्रति कृषक परिवार को अधिकतम 2 (दो) हेक्टेयर का लाभ दिया जायेगा।

5. रबी मौसम में टमाटर एवं मिर्च की खेती हेतु अनुसंशित प्रभेद का गुणवत्तायुक्त हाइब्रिड बीज किसानों को संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। लहसुन के अनुसंशित प्रभेद का गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीज किसानों को संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, पटना/बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

6. यह अनुदान की योजना है, इसमें मानव दिवस का सृजन संभावित नही है।

7. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा। विभागीय वेबसाईट http://horticulture.bihar.gov.in पर उपलब्ध "योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करें" लिंक पर Click कर Dashboard पर उपलब्ध "क्लस्टर में सब्जी/मसाला योजना" टैब पर Click कर "आवेदन करें" लिंक पर जाकर आवेदन किया जायेगा। योजना अन्तर्गत कृषकों का चयन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा।

8. संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी द्वारा क्रियान्वित योजना का शत्–प्रतिशत, सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत एवं संयुक्त/उप निदेशक उद्यान द्वारा 1 प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

9. इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यक्रम का Geo-tagging तथा निरीक्षण का कार्य संबंधित जिला के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसके आधार पर नियमानुसार सहायतानुदान का भुगतान किया जायेगा। निरीक्षण प्रतिवेदन एवं Geo Tagg फोटोग्राफ सॉफ्टवेयर में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

10. टमाटर, मिर्च एवं लहसुन की खेती मुख्य रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों के साथ–साथ वैसे कृषक, जिनके पास जमीन नही है, पट्टे और बटाई की जमीन पर टमाटर, मिर्च एवं लहसुन की खेती करने वाले कृषकों को एकरारनामा (अनुसूची–4) के आधार पर योजना का लाभ दिया जायेगा। इस योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.10 हे०) तथा अधिकतम 5.0 एकड़ (2.00 हे०) तक का लाभ कृषकों को दिया जायेगा।

11. भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पत्रांक–7–1/2025–आर०के०भी०वाई० दिनांक 30.12.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत केन्द्रांश मद में कुल 155.88 करोड़ रू० (सामान्य 120.09 करोड़ रूपये, अनुसूचित जाति 33.12 करोड़ रूपये एवं अनुसूचित जनजाति 2.67 करोड़ रूपये) उद्‌व्यय संसूचित किया गया है। उक्त उद्‌व्यय के आलोक में भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2025–RKVY दिनांक 02.05.2025 द्वारा कुल 77.94 करोड़ रू० (सामान्य 60.05 करोड़ रू०, अनुसूचित जाति 16.55 करोड़ रू० एवं अनुसूचित जनजाति 1.34 करोड़ रू०) विमुक्त किया गया है। विमुक्त राशि के विरूद्ध समानुपातिक राज्यांश सहित राशि का आवंटनादेश निर्गत कर राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

12. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत सरकार से संसूचित उद्‌व्यय सामान्य जाति में 77.04 प्रतिशत, अनुसूचित जाति में 21.25 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति में 1.71 प्रतिशत है।

13. योजना संबंधित सुसंगत विषय शीर्ष में कोटिवार बजट उपबंध केन्द्रांश तथा राज्यांश मद में 77.04 : 21.25 : 1.71 के अनुपात में एवं टॉप–अप (राज्यांश) 78.537 : 20 : 1.463 के अनुपात में कोटिवार राशि स्वीकृत किया गया है। उक्त अनुपात के अनुसार कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा योजना कार्यान्वित किया जायेगा।

14. भारत सरकार के नये मार्गदर्शिका के अनुसार RBI के ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना की धन राशि का परिसीमन/अंतरण/खर्च SNA-SPARSH Module के माध्यम से क्रियान्वयन किया जायेगा।

15. योजना का कार्यान्वयन एजेंसी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी होंगे, जो अनुसूची–2 के अनुसार योजना के कार्यान्वयन तथा अनुसूची–3 के अनुसार क्रमशः केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में आवंटित राशि के व्यय के लिए पूर्णतः जवाबदेह होंगे। अनुसूची–3 के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी को राशि आवंटित की जायेगी। कार्यान्वयन एजेंसी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र के आधार पर SNA-SPARSH के माध्यम से राशि की निकासी की जाएगी, जिसका व्यय प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक उद्यान, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध करायेंगे।

16. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार उक्त योजना को राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति की दिनांक 30.12.2024 को आयोजित बैठक में अनुशंसित है।

17. भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निदेशानुसार इस योजना का कार्यान्वयन MIDH Guideline के अनुसार किया जायेगा।

18. प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन यथावश्यक संशोधन/परिवर्तन किया जायेगा।

19. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 तथा पत्रांक–410 दिनांक–12.06.2025 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वार सुनिश्चित किया जायेगा।

20. इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना होंगे।

21. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा एवं इसकी प्रति कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

22. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष एवं स्वीकृत राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रू0 में)

| बजट शीर्ष | उपबंधित राशि | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|
| 1. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रांश एवं राज्यांश) | | |
| मुख्य शीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म– उपमुख्य शीर्ष –00– लघुशीर्ष– 109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण– मांग सं० –01, उपशीर्ष –0216– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड–01 –2401001090216, पी०एफ०एम०एस०कोड–9145, विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान –0216 –31–06 सहायक अनुदान –गैर वेतन | 24722.38000 | 768.42778 |
| मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00 –लघुशीर्ष –789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– मांग सं०–01, उपशीर्ष –0203 – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड –01 –2401007890203, पी० एफ०एम०एस० कोड–9145, विषयशीर्ष –31– सहायता अनुदान –0203–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन | 5133.32000 | 211.95600 |
| मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म– उपमुख्य शीर्ष –00 –लघुशीर्ष– 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना– मांग सं०–01, उपशीर्ष–0231 –राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड–01– 401007960231, पी०एफ०एम०एस० कोड–9145, विषयशीर्ष –31– सहायता अनुदान–0231–31–06 सहायक अनुदान –गैर वेतन | 375.50000 | 17.05622 |
| **योग** | **30231.20000** | **997.44000** |
| **प्रथम अनुपूरक से पूर्व राज्यांश मद से स्वीकृत की गयी राशि** | **200.00000** | |
| **कुल योग** | **30431.20000** | |
| **2. उद्यान विकास योजना (राज्य मद)** | | |
| मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या–01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401001190101, विषय शीर्ष 0101–33–01 सब्सिडी। | 19084.49000 | 195.83986 |
| मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–01, उप शीर्ष – 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401007890130, विषय शीर्ष 0130–33–01 सब्सिडी। | 4860.00000 | 49.87200 |
| मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–01, उपशीर्ष 0152 – उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401007960152, विषय शीर्ष 0152–33–01 सब्सिडी। | 355.51000 | 3.64814 |
| **योग** | **24300.00000** | **249.36000** |
| **सकल योग** | **54731.20000** | **1246.80000** |

23. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव पर दिनांक–18.08.2025 को प्रधान सचिव, कृषि की अध्यक्षता में विभागीय स्थायी वित्त समिति की आयोजित बैठक में अनुशंसा प्राप्त है। योजना के कार्यान्वयन प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय उप मुख्य (कृषि) मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–DoH/CS/04/2025 के पृष्ठ संख्या–46/टि० पर दिनांक–28.08.2025 को प्राप्त है।

24. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

25. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या DoH/CS/04/2025 के पृ0सं0–45/टि0 पर दिनांक–25.08.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–677 दिनांक–25.08.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/CS/04/2025-पी०पी०एम०(बागवानी)-19-128/कृ0, पटना, दिनांक - 29.08. 2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/CS/04/2025-पी०पी०एम०(बागवानी)-19-128-/कृ0, पटना, दिनांक - 29.08. 2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/CS/04/2025-पी०पी०एम०(बागवानी)-19-128/कृ0, पटना, दिनांक - 29.08. 2025

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/CS/04/2025-पी०पी०एम०(बागवानी)-19-128/कृ0, पटना, दिनांक - 29.08. 2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, बिहार राज्य बागवानी मिशन, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक उद्यान/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी/संबंधित सहायक निदेशक उद्यान/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/CS/04/2025-पी०पी०एम०(बागवानी)-19-128/कृ0, पटना, दिनांक - 29.08. 2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों तथा कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

297

## अनुसूची–1

### वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत टमाटर, मिर्च एवं लहसुन का क्लस्टर में क्षेत्र विस्तार

(भौतिक लक्ष्य हेक्टेयर में एवं वित्तीय लक्ष्य लाख रू० में)

| क्र० सं० | फसल | इकाई (हेक्टेयर में) | क्लस्टर की संख्या | भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में) | यूनिट कॉस्ट (लाख रू०/हे०) | एम.आई.डी.एच. के अनुसार 40 प्रतिशत अनुदान की राशि | केन्द्रांश एवं राज्यांश | टॉप अप (10 प्रतिशत) | कुल वित्तीय लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | टमाटर | 6 | 380 | 2280 | 0.60000 | 0.24000 | 547.20000 | 136.80000 | 684.00000 |
| 2 | मिर्च | 6 | 246 | 1476 | 0.60000 | 0.24000 | 354.24000 | 88.56000 | 442.80000 |
| 3 | लहसुन | 6 | 40 | 240 | 1.00000 | 0.40000 | 96.00000 | 24.00000 | 120.00000 |
| कुल योग | | | **666** | **3996** | | | **997.44000** | **249.36000** | **1246.80000** |

(बारह करोड़ छियालीस लाख अस्सी हजार रूपये मात्र)

Jaya

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार

अनुसूची–2

## वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत टमाटर, मिर्च एवं लहसुन का क्लस्टर में क्षेत्र विस्तार का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(भौतिक लक्ष्य हेक्टेयर में एवं वित्तीय लक्ष्य लाख रू० में)

| क्र० सं० | जिला | टमाटर | | | | | मिर्च | | | | | लहसुन | | | | | कुल भौतिक लक्ष्य | कुल केन्द्रांश एवं राज्यांश | कुल टॉप–अप (10 %) | कुल वित्तीय लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | क्लस्टर की संख्या | भौतिक लक्ष्य | केन्द्रांश एवं राज्यांश | टॉप–अप (10 %) | वित्तीय लक्ष्य | क्लस्टर की संख्या | भौतिक लक्ष्य | केन्द्रांश एवं राज्यांश | टॉप–अप (10 %) | वित्तीय लक्ष्य | क्लस्टर की संख्या | भौतिक लक्ष्य | केन्द्रांश एवं राज्यांश | टॉप–अप (10 %) | वित्तीय लक्ष्य | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 13 | 14 | 15 | 16 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| 1 | अररिया | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20 | 120 | 28.800 | 7.200 | 36.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 120 | 28.800 | 7.200 | 36.000 |
| 2 | औरंगाबाद | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20 | 120 | 28.800 | 7.200 | 36.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 120 | 28.800 | 7.200 | 36.000 |
| 3 | बाँका | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10 | 60 | 14.400 | 3.600 | 18.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 60 | 14.400 | 3.600 | 18.000 |
| 4 | बेगूसराय | 40 | 240 | 57.600 | 14.400 | 72.000 | 15 | 90 | 21.600 | 5.400 | 27.000 | 3 | 18 | 7.200 | 1.800 | 9.000 | 348 | 86.400 | 21.600 | 108.000 |
| 5 | भागलपुर | 10 | 60 | 14.400 | 3.600 | 18.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 60 | 14.400 | 3.600 | 18.000 |
| 6 | भोजपुर | 20 | 120 | 28.800 | 7.200 | 36.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 12 | 4.800 | 1.200 | 6.000 | 132 | 33.600 | 8.400 | 42.000 |
| 7 | बक्सर | 20 | 120 | 28.800 | 7.200 | 36.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 12 | 4.800 | 1.200 | 6.000 | 132 | 33.600 | 8.400 | 42.000 |
| 8 | पूर्वी चम्पारण | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 30 | 12.000 | 3.000 | 15.000 | 30 | 12.000 | 3.000 | 15.000 |
| 9 | गयाजी | 15 | 90 | 21.600 | 5.400 | 27.000 | 10 | 60 | 14.400 | 3.600 | 18.000 | 2 | 12 | 4.800 | 1.200 | 6.000 | 162 | 40.800 | 10.200 | 51.000 |
| 10 | जमुई | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 30 | 7.200 | 1.800 | 9.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30 | 7.200 | 1.800 | 9.000 |
| 11 | जहानाबाद | 15 | 90 | 21.600 | 5.400 | 27.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 12 | 4.800 | 1.200 | 6.000 | 102 | 26.400 | 6.600 | 33.000 |
| 12 | कैमूर | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10 | 60 | 14.400 | 3.600 | 18.000 | 2 | 12 | 4.800 | 1.200 | 6.000 | 72 | 19.200 | 4.800 | 24.000 |
| 13 | कटिहार | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15 | 90 | 21.600 | 5.400 | 27.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90 | 21.600 | 5.400 | 27.000 |
| 14 | खगड़िया | 20 | 120 | 28.800 | 7.200 | 36.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 12 | 4.800 | 1.200 | 6.000 | 132 | 33.600 | 8.400 | 42.000 |
| 15 | किशनगंज | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10 | 60 | 14.400 | 3.600 | 18.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 60 | 14.400 | 3.600 | 18.000 |
| 16 | लखीसराय | 50 | 300 | 72.000 | 18.000 | 90.000 | 30 | 180 | 43.200 | 10.800 | 54.000 | 5 | 30 | 12.000 | 3.000 | 15.000 | 510 | 127.200 | 31.800 | 159.000 |
| 17 | मुंगेर | 40 | 240 | 57.600 | 14.400 | 72.000 | 20 | 120 | 28.800 | 7.200 | 36.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 360 | 86.400 | 21.600 | 108.000 |
| 18 | मुजफ्फरपुर | 20 | 120 | 28.800 | 7.200 | 36.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 120 | 28.800 | 7.200 | 36.000 |
| 19 | नालन्दा | 15 | 90 | 21.600 | 5.400 | 27.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 24 | 9.600 | 2.400 | 12.000 | 114 | 31.200 | 7.800 | 39.000 |
| 20 | नवादा | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11 | 66 | 15.840 | 3.960 | 19.800 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 66 | 15.840 | 3.960 | 19.800 |
| 21 | पटना | 25 | 150 | 36.000 | 9.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 18 | 7.200 | 1.800 | 9.000 | 168 | 43.200 | 10.800 | 54.000 |
| 22 | पूर्णिया | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20 | 120 | 28.800 | 7.200 | 36.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 120 | 28.800 | 7.200 | 36.000 |
| 23 | रोहतास | 40 | 240 | 57.600 | 14.400 | 72.000 | 20 | 120 | 28.800 | 7.200 | 36.000 | 3 | 18 | 7.200 | 1.800 | 9.000 | 378 | 93.600 | 23.400 | 117.000 |
| 24 | समस्तीपुर | 25 | 150 | 36.000 | 9.000 | 45.000 | 30 | 180 | 43.200 | 10.800 | 54.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 330 | 79.200 | 19.800 | 99.000 |
| 25 | शेखपुरा | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 18 | 7.200 | 1.800 | 9.000 | 18 | 7.200 | 1.800 | 9.000 |
| 26 | वैशाली | 25 | 150 | 36.000 | 9.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 12 | 4.800 | 1.200 | 6.000 | 162 | 40.800 | 10.200 | 51.000 |
| | **कुल योग** | **380** | **2280** | **547.200** | **136.800** | **684.000** | **246** | **1476** | **354.240** | **88.560** | **442.800** | **40** | **240** | **96.000** | **24.000** | **120.000** | **3996** | **997.440** | **249.360** | **1246.800** |

**(मो० बारह करोड़ छियालीस लाख अस्सी हजार रूपये)**

Jaya

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।

अनुसूची – 3

**वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत टमाटर, मिर्च एवं लहसुन का क्लस्टर में क्षेत्र विस्तार के तहत जिलावार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार, केन्द्रांश, राज्यांश एवं टॉप–अप राज्यांश मद का श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य की विवरणी।**

(वित्तीय लक्ष्य लाख रू० में)

| क्र० सं० | जिला/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | केन्द्रांश एवं राज्यांश | | | | टॉप–अप | | | | कुल वित्तीय लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सामान्य जाति (77.04%) | अनुसूचित जाति (21.25%) | अनुसूचित जनजाति (1.71%) | योग | सामान्य जाति (78.537%) | अनुसूचित जाति (20.00%) | अनुसूचित जनजाति (1.463%) | योग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, अररिया | 22.18752 | 6.12000 | 0.49248 | 28.800 | 5.65466 | 1.44000 | 0.10534 | 7.20000 | 36.00000 |
| 2 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, औरंगाबाद | 22.18752 | 6.12000 | 0.49248 | 28.800 | 5.65466 | 1.44000 | 0.10534 | 7.20000 | 36.00000 |
| 3 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, बाँका | 11.09376 | 3.06000 | 0.24624 | 14.400 | 2.82733 | 0.72000 | 0.05267 | 3.60000 | 18.00000 |
| 4 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, बेगूसराय | 66.56256 | 18.36000 | 1.47744 | 86.400 | 16.96400 | 4.32000 | 0.31600 | 21.60000 | 108.00000 |
| 5 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, भागलपुर | 11.09376 | 3.06000 | 0.24624 | 14.400 | 2.82733 | 0.72000 | 0.05267 | 3.60000 | 18.00000 |
| 6 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, भोजपुर | 25.88544 | 7.14000 | 0.57456 | 33.600 | 6.59711 | 1.68000 | 0.12289 | 8.40000 | 42.00000 |
| 7 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, बक्सर | 25.88544 | 7.14000 | 0.57456 | 33.600 | 6.59711 | 1.68000 | 0.12289 | 8.40000 | 42.00000 |
| 8 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण | 9.24480 | 2.55000 | 0.20520 | 12.000 | 2.35611 | 0.60000 | 0.04389 | 3.00000 | 15.00000 |
| 9 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, गयाजी | 31.43232 | 8.67000 | 0.69768 | 40.800 | 8.01077 | 2.04000 | 0.14923 | 10.20000 | 51.00000 |
| 10 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, जमुई | 5.54688 | 1.53000 | 0.12312 | 7.200 | 1.41367 | 0.36000 | 0.02633 | 1.80000 | 9.00000 |
| 11 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, जहानाबाद | 20.33856 | 5.61000 | 0.45144 | 26.400 | 5.18344 | 1.32000 | 0.09656 | 6.60000 | 33.00000 |
| 12 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, कैमूर | 14.79168 | 4.08000 | 0.32832 | 19.200 | 3.76978 | 0.96000 | 0.07022 | 4.80000 | 24.00000 |
| 13 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, कटिहार | 16.64064 | 4.59000 | 0.36936 | 21.600 | 4.24100 | 1.08000 | 0.07900 | 5.40000 | 27.00000 |
| 14 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, खगड़िया | 25.88544 | 7.14000 | 0.57456 | 33.600 | 6.59711 | 1.68000 | 0.12289 | 8.40000 | 42.00000 |
| 15 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, किशनगंज | 11.09376 | 3.06000 | 0.24624 | 14.400 | 2.82733 | 0.72000 | 0.05267 | 3.60000 | 18.00000 |
| 16 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, लखीसराय | 97.99488 | 27.03000 | 2.17512 | 127.200 | 24.97477 | 6.36000 | 0.46523 | 31.80000 | 159.00000 |
| 17 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर | 66.56256 | 18.36000 | 1.47744 | 86.400 | 16.96399 | 4.32000 | 0.31601 | 21.60000 | 108.00000 |
| 18 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | 22.18752 | 6.12000 | 0.49248 | 28.800 | 5.65466 | 1.44000 | 0.10534 | 7.20000 | 36.00000 |
| 19 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, नालन्दा | 24.03648 | 6.63000 | 0.53352 | 31.200 | 6.12589 | 1.56000 | 0.11411 | 7.80000 | 39.00000 |
| 20 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, नवादा | 12.20314 | 3.36600 | 0.27086 | 15.840 | 3.11007 | 0.79200 | 0.05793 | 3.96000 | 19.80000 |
| 21 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना | 33.28128 | 9.18000 | 0.73872 | 43.200 | 8.48200 | 2.16000 | 0.15800 | 10.80000 | 54.00000 |
| 22 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णियाँ | 22.18752 | 6.12000 | 0.49248 | 28.800 | 5.65466 | 1.44000 | 0.10534 | 7.20000 | 36.00000 |
| 23 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, रोहतास | 72.10944 | 19.89000 | 1.60056 | 93.600 | 18.37766 | 4.68000 | 0.34234 | 23.40000 | 117.00000 |
| 24 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर | 61.01568 | 16.83000 | 1.35432 | 79.200 | 15.55032 | 3.96000 | 0.28968 | 19.80000 | 99.00000 |
| 25 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा | 5.54688 | 1.53000 | 0.12312 | 7.200 | 1.41366 | 0.36000 | 0.02634 | 1.80000 | 9.00000 |
| 26 | सहायक निदेशक उद्यान/जिला उद्यान पदाधिकारी, वैशाली | 31.43232 | 8.67000 | 0.69768 | 40.800 | 8.01077 | 2.04000 | 0.14923 | 10.20000 | 51.00000 |
| | **कुल योग** | **768.42778** | **211.95600** | **17.05622** | **997.44000** | **195.83986** | **49.87200** | **3.64814** | **249.36000** | **1246.80000** |

(मो० बारह करोड़ छियालीस लाख अस्सी हजार रूपये)

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।

# अनुसूची–4

## कृषि विभाग

## उद्यान निदेशालय

## वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत टमाटर, मिर्च एवं लहसुन का क्लस्टर में क्षेत्र विस्तार योजना का लाभ लेने हेतु एकरारनामा (गैर–रैयत कृषक)

## (विहित प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि

1. मै.........................................................................पिता / पति.........................................................................

ग्राम.................................................पोस्ट...............................................पंचायत..........................................

प्रखंड..................................जिला....................................का निवासी हूँ।

मैंने टमाटर / मिर्च / लहसुन का क्लस्टर (समूह) में क्षेत्र विस्तार के लिए कृषक श्री..........................................................................पिता / पति.......................................................... ग्राम.....................................पोस्ट....................................पंचायत............................................... प्रखंड...........................................................................जिला..........................................................................से खाता संख्या......................................................खेसरा संख्या.................................................... रकवा.................................जमीन बटाई / पट्टा पर प्राप्त किया है।

2. बटाई / पट्टा पर ली गई उपर्युक्त जमीन पर मेरे द्वारा टमाटर / मिर्च / लहसुन का क्लस्टर में खेती की जायेगी।

3. उपर्युक्त सूचना सही है एवं किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सारी जवाबदेही मेरी होगी तथा मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

**कृषक का पूर्ण हस्ताक्षर**

खेत के बगल के दो किसानों का नाम, हस्ताक्षर एवं मोबाईल नं०

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | गवाह का नाम एवं पता<br>..............................................<br>..............................................<br>.............................................. | हस्ताक्षर<br>......................... | मोबाईल नं०<br>..................... |
| 2 | गवाह का नाम एवं पता<br>..............................................<br>..............................................<br>.............................................. | हस्ताक्षर<br>......................... | मोबाईल नं०<br>..................... |

**सत्यापनकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर**

(**पदनाम**:– कृषि समन्वयक / प्रखंड उद्यान पदाधिकारी / प्रखंड कृषि पदाधिकारी)